विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर धारा 197क (1घ) और धारा 10(15)(viii) की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण

परिपत्र संख्या 26/2016 [एफ.सं.275/26/2016-आईटी(बी)], दिनांक 4-7-2016

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क उन परिस्थितियों को प्रदान करती है जिनमें अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता नहीं है। इस धारा की उप-धारा (1घ) में प्रावधान है कि किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा किसी अनिवासी या भारत में सामान्य रूप से निवासी नहीं रहने वाले व्यक्ति द्वारा 1-4-2005 को या उसके बाद किए गए जमा पर या ऐसे व्यक्तियों से 1-4-2005 को या उसके बाद लिए गए उधार पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 10 की उप-धारा (15) के खंड (viii) में प्रावधान है कि ऐसा ब्याज कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अपतटीय बैंकिंग इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यू) में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित बैंक की शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कर ली है।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क (1घ) और धारा 10(15)(viii) की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) से प्राप्त ब्याज के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की गई है, और यह पाया गया है कि आईबीयू भारतीय बैंकों या भारत में मौजूद विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रों में आरबीआई योजना दिनांक 1-4-2015 के अनुसार स्थापित की गई हैं। इस प्रकार, आईबीयू विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यू) में परिभाषित अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के रूप में माने जाने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, बोर्ड एतद्द्वारा स्पष्ट करता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क (1घ) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आईबीयू द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर, किसी अनिवासी या ऐसे व्यक्ति द्वारा 1-4-2005 को या उसके बाद किए गए जमा पर, जो भारत में सामान्य रूप से निवासी नहीं है, या ऐसे व्यक्तियों से 1-4-2005 को या उसके बाद लिए गए उधार पर कर काटने की आवश्यकता नहीं है।